

जनवरी 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **संसद:**
 - संसद का बजट सत्र
 - राष्ट्रपति के अभिषेक में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख
- **वित्त:**
 - अंतरराष्ट्रीय एकसंघर्षों पर प्रतिभूतियाँ
 - भारतीय स्टांप अधिनियम, 2023
 - वदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु निर्देश
 - राज्य सरकार की गारंटियों पर कार्य समूह की रिपोर्ट
 - स्व-नियामक संगठनों के लिये मसौदा
 - हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नियामक ढाँचे हेतु मसौदा पर पत्र जारी
 - सेबी ने अनुपालन को सरल बनाने के सुझावों पर टिप्पणियाँ मांगी
 - कुछ योजनाओं हेतु नविश को समाप्त करने में लचीलापन प्रदान करने पर टिप्पणियाँ
- **शिक्षा:**
 - कोचिंग सेंट्रों के नियमन हेतु दिशा-निर्देश
 - साक्षरता केंद्रों का गठन
- **कोयला:**
 - कोयला/लग्निनाइट गैसीकरण परियोजना
- **खनन:**
 - अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने हेतु खनन नियम संशोधन अधिसूचना
- **ऊर्जा:**
 - कॉस्ट इफेक्टिव टैरिफ और ओपन एक्सेस शुल्क की सीमा तय करने हेतु नियमों में संशोधन
- **नवीन एवं अक्षय ऊर्जा:**
 - गैर-वदियुतीकृत घरों के लिये सौर ऊर्जा हेतु दिशा-निर्देश
- **पृथ्वी विज्ञान:**
 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हेतु व्यापक योजना पृथ्वी को मंजूरी
- **पर्यावरण:**
 - एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के प्रबंधन हेतु मसौदा नियम
- **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग:**
 - वाहनों की स्क्रैपिंग के नियमों में मसौदा संशोधन

संसद

संसद का बजट सत्र

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी, 2024 को शुरू हुआ और 9 फरवरी, 2024 को समाप्त हुआ। इस सत्र में आठ बैठकें हुईं।

- राष्ट्रपति का संबोधन:

- **राष्ट्रपति** ने 31 जनवरी, 2024 को **संसद** के दोनों सदनों को संबोधित किया तथा सरकार की उपलब्धियों और राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
- अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25:
 - **अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25** वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2024 को पेश किया गया था। बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिये सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की रूपरेखा तैयार की गई।
- **परिचय, विचार और पारित करने के लिये विधियक:**
 - दो विधियकों के परिचय, विचार के साथ ही उन्हें पारित करने के लिये सूचीबद्ध किया गया है:
 - **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नयितरण) संशोधन विधियक, 2024** का उद्देश्य जल प्रदूषण मानदंडों और दंडों का प्रवर्तन एवं अनुपालन को मजबूत करना है।
 - **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधियक, 2024**, जो सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक लगाने और दंडित करने एवं शिक्षा की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रपति के अभिषेक में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख:

भारत की राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2024 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिषेक में सरकार की प्रमुख नीतिगत उपलब्धियों और लक्ष्यों को रेखांकित किया। संबोधन की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

- **आर्थिक विकास और स्थिरता:**
 - गंभीर वैश्विक संकट के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और इसने लगातार दो तमिहियों में 7.5% से अधिक की विकास दर बनाए रखी है।
 - वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों में मुद्रास्फीति 8% से अधिक थी, जबकि पिछले दशक में यह 5% रही।
- **औद्योगिक विकास और व्यापार में सुगमता:**
 - स्टार्टअप की संख्या जो 100 हुआ करती थी, अब बढ़कर चार लाख से भी अधिक हो गई है।
 - व्यापार को सुगम बनाने के लिये 40,000 से अधिक अनुपालनों को हटा दिया गया है या उन्हें सरल बना दिया गया है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन:**
 - 10 वर्षों में पूंजीगत व्यय पाँच गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
 - राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 90,000 कमी. से बढ़कर 1.46 लाख कमी. हो गई है। फोर-लेन वाले राजमार्गों की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई है।
- **ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई:**
 - 10 वर्षों में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर 188 गीगावाट हो गई है।
 - भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
- **शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच:**
 - सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये 14,000 से अधिक **पीएम-श्री स्कूलों** पर काम कर रही है। इनमें से लगभग 6,000 ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण और नवाचार:** भारत ने आदित्य मिशन लॉन्च करने के साथ ही पृथ्वी से 15 लाख कमी. दूर सैटेलाइट भेजा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया है।

वित्त

अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर प्रतभूतियाँ

वित्त मंत्रालय ने भारत की सार्वजनिक कंपनियों को विदेशी मुद्रा पर अपनी प्रतभूतियों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाया है। इससे उनकी वैश्विक उपस्थिति और पूंजी तक पहुँच बढ़ने की उम्मीद है। मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को वनियमित करने एवं विदेशी मुद्रा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये नए नियम जारी किये हैं।

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखित) संशोधन नियम, 2024:** मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखित) संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखित) नियम, 2019 में संशोधन करता है। ये नियम अनुमत अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग के लिये शर्तों और मानदंडों को नरिदष्ट करते हैं।
- **प्रत्यक्ष लिस्टिंग के लिये शर्तें:** संशोधन भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देता है। इसमें शामिल हैं:
 - भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के नागरिक या संस्थाएँ केवल केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ऐसी कंपनियों के शेयर रख सकती हैं।
 - सार्वजनिक भारतीय कंपनियों या मौजूदा शेयरधारक कुछ मानदंडों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं:
 - कंपनी, उसके निदेशक या निदेशकों को पूंजी बाजार तक पहुँचने से प्रतबंधित नहीं किया गया है।
 - कंपनी, प्रमोटर या निदेशक इच्छुक डिफॉल्टर नहीं हैं।
 - प्रवर्तक या निदेशक भगोड़े आर्थिक अपराधी नहीं हैं।

भारतीय स्टॉप वधियक, 2023

वित्त मंत्रालय ने [भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899](#) में परिवर्तन के लिये सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित करते हुए भारतीय स्टॉप वधियक, 2023 का मसौदा जारी किया। मसौदा वधियक में अधिनियम के कई प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, जसिमें प्रमुख बदलावों के साथ शपथ-पत्र, वनिमिय वधियक और बॉण्ड जैसे उपकरणों पर स्टॉप शुल्क लगाना शामिल है।

मुख्य परिवर्तनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **उपकरणों के लिये शुल्क बाज़ार मूल्य पर आधारित:** लीज़ समझौते और बॉण्ड जैसे उपकरणों के नषिपादन पर शुल्क देय है। मसौदा वधियक में कहा गया है कि खनन लीज़ के नवीनीकरण या किसी संपत्तिके ब्याज के हस्तांतरण जैसे कुछ लेन-देन पर शुल्क उपकरण के बाज़ार मूल्य पर आधारित होगा।
- **छूट:** अधिनियम उन उपकरणों को स्टॉप शुल्क से छूट देता है जिनका उपयोग जहाजों की बिक्री और उन्हें स्थानांतरित करने के लिये किया जाता है। मसौदा वधियक इसमें बदलाव करता है। वह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से संबंधित डेवलपर या इकाइयों द्वारा उनके लिये या उनकी ओर से नषिपादित उपकरण/इंस्ट्रुमेंट्स को शुल्क से छूट देता है। डेवलपर का मतलब केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों या राज्य सरकार से है। किसी उद्यमी द्वारा SEZ में इकाई स्थापति की जा सकती है।
- अधिनियम प्रतभूतियों और म्यूचुअल फंड इकाइयों के लाभकारी स्वामित्व हस्तांतरण पर स्टॉप शुल्क से छूट देता है, लेकिन मसौदा वधियक इस छूट को हटा देता है, जबकि यह एक व्यक्तियों और डिपॉजिटरी के बीच पंजीकृत स्वामित्व हस्तांतरण एवं किसी अन्य सरकार की सरकारी संपत्तिके रणनीतिक बिक्री या वनिविश पर भी छूट देता है।
- **नजी संस्थाओं द्वारा शुल्क जमा करना:** वधियक के मसौदे के अनुसार, नजी संस्थाएँ जैसे स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और अधिकृत क्लियरिंग कॉरपोरेशन, राज्य सरकार को हस्तांतरित करने से पहले सुविधा शुल्क के रूप में स्टॉप शुल्क का एक प्रतशित जमा करेंगी और काट लेंगी।
- **उपकरणों का कम मूल्यंकन:** अगर किसी उपकरण/इंस्ट्रुमेंट को पंजीकरण अधिकारी द्वारा कम मूल्य का माना जाता है, तो ज़िला कलेक्टर इसका उचित मूल्य निर्धारित करेगा। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य न्यित्तरक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष की जा सकती है।

वदिशी मुद्रा जोखमि के प्रबंधन हेतु नरिदेश

[भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) ने वदिशी मुद्रा जोखमि के प्रबंधन के लिये संशोधित नरिदेश जारी किये हैं।

- **हेजगि उत्पादों की पेशकश के लिये प्लेटफॉर्म:** वदिशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट काउंटर पर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के माध्यम से पेश किये जा सकते हैं। काउंटर पर लेन-देन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के अलावा अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी किया जाता है।
- **यूज़र्स का वर्गीकरण:** काउंटर पर वदिशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंध के यूज़र्स को रिटेल और नॉन-रिटेल में विभाजित किया जाएगा। एक वदिशी मुद्रा डेरेवेटिव अनुबंध का मूल्य दो मुद्राओं की वनिमिय दर में परिवर्तन से प्राप्त होता है, जनिमें से कम-से-कम एक भारतीय रुपया नहीं है। नॉन-रिटेल यूज़र्स में बीमा कंपनियों, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्तियां 1,000 करोड़ रुपए के न्यूनतम कारोबार वाले नविसी शामिल हैं।
- **स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पेश किये जाने वाले उत्पाद:** मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्टोड एक्सपोजर की हेजगि के लिये भारतीय रुपए से जुड़े वदिशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंध की पेशकश कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टोड एक्सपोजर का आशय चालू या पूंजी खाता लेन-देन से संबंधित मुद्रा जोखमि से है।

राज्य सरकार की गारंटियों पर कार्य समूह की रिपोर्ट

[भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) ने राज्य सरकार की गारंटी पर कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की। गारंटी एक आकस्मिक देनदारी है जो ऋणदाता को उधारकर्त्ता के डफॉल्ट होने के जोखमि से बचाती है। **राज्य सरकारें अक्सर राज्य उद्यमों, शहरी स्थानीय नकियाँ, सहकारी संस्थानों और अन्य राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण की गारंटी देती हैं।**

प्रमुख सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **गारंटी की परिभाषा:** कार्य समूह ने सुझाव दिया कि विस्तारित गारंटी की कूल राशिकी गणना करने के लिये यह अंतर नहीं किया जाना चाहिये कि गारंटी किस प्रकार की है। इनमें सशर्त/बिना शर्त गारंटी और वतितीय/प्रदर्शन गारंटी शामिल हैं। इसमें वे सभी इंस्ट्रुमेंट शामिल होने चाहिये जो उधारकर्त्ता की ओर से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जारीकर्त्ता पर बाध्यता बनाते हैं, चाहे आकस्मिक हो या अन्यथा।
- **गारंटी की अधिकतम सीमा:** रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एक वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धशील गारंटी की अधिकतम सीमा राजस्व प्राप्तियों का 5% या GSDP का 0.5%, जो भी कम हो, होनी चाहिये।
- **गारंटी नीति के लिये दशा-नरिदेश:** राज्य सरकारें अपनी गारंटी नीति तैयार करते समय केंद्र सरकार द्वारा जारी दशा-नरिदेशों का पालन कर सकती हैं। इन दशा-नरिदेशों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - केवल ऋण के मूलधन और सामान्य ब्याज के लिये गारंटी देना।
 - बाहरी वाणज्यिक उधार के लिये गारंटी नहीं देना।
 - परियोजना ऋण के 80% से अधिक की गारंटी नहीं देना।
 - नजी कंपनियों और संस्थानों के ऋण की गारंटी नहीं देना।
- **जोखमि वर्गीकरण:** राज्यों को परियोजनाओं को उच्च जोखमि, मध्यम जोखमि और कम जोखमि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिये तथा गारंटी बढ़ाने हेतु जोखमि भार नरिदिष्ट करना चाहिये। जोखमि वर्गीकरण में चूक के पछिले रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

स्व-नियामक संगठनों के लिये एक मसौदा

मानकों और प्रथाओं को बढ़ाने, समय और लागत बचाने के लिये **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** फनिटेक क्षेत्र में **स्व-नियामक संगठनों (Self-Regulatory Organizations- SRO)** के लिये एक मसौदा रूपरेखा जारी करता है। प्रमुख प्रस्तावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **SRO की विशेषताएँ:** RBI की देख-रेख वाले **स्व-नियामक संगठनों (SRO)** को नषिपकष रूप से क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ावा देने, अनुपालन योजनाएँ के निर्माण, व्यापक क्षेत्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, स्वतंत्र रूप से कार्य करने, विवादों में मध्यस्थता के साथ ही सदस्य भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **सदस्यता का मानदंड:** SRO को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिये और उसके सदस्यता के लिये सभी आकार, चरण और गतिविधियों वाली संस्थाएँ शामिल होनी चाहिये। सदस्यता स्वैच्छिक होगी लेकिन RBI फनिटेक को किसी मान्यता प्राप्त SRO का सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
- **कार्य:** SRO के पास नियम और मानक बनाने के लिये वस्तुनिष्ठ एवं परामर्शात्मक प्रक्रियाएँ होनी चाहिये। उसे उद्योग मानक तथा आधारभूत प्रौद्योगिकी मानक भी निर्धारित करने चाहिये। SRO को क्षेत्र की निगरानी करने तथा अपवादों का पता लगाने और उन्हें उजागर करने के लिये सर्विलांस उपायों का इस्तेमाल करना चाहिये। उन्हें अपने सदस्यों के लिये शिकायत निवारण और विवाद समाधान फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिये।
- **कार्य:** SRO को उद्देश्यपूर्ण, परामर्शी नियम-निर्माण, उद्योग मानक निर्धारण, निगरानी और शिकायत निवारण ढाँचे की स्थापना करनी चाहिये।

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नियामक ढाँचे हेतु मसौदा परपित्त जारी

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने **हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC)** के लिये नियमों को अद्यतन करने हेतु एक मसौदा परपित्त जारी किया, **येगैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों (NBFC)** हैं जो मुख्य रूप से आवास ऋण प्रदान करती हैं। इनकी मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **तरल संपत्ति रखना:** वर्तमान में जमा स्वीकार करने वाली HFC को सार्वजनिक जमा के मुकाबले 13% तरल संपत्ति रखने की आवश्यकता होती है। **भारतीय रज़िर्व बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक इसे 15% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।**
- **HFC की क्रेडिट रेटिंग:** सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के लिये HFC को वर्ष में कम-से-कम एक बार इनवेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करनी होगी। अगर उनकी क्रेडिट रेटिंग न्यूनतम इनवेस्टमेंट ग्रेड से नीचे आती है, तो HFC इनवेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग प्राप्त होने तक मौजूदा जमा को रीन्यू नहीं करेगी या नई जमा स्वीकार नहीं करेगी।
- **एकाउंट्स को अंतिम रूप देना:** HFC को वित्तीय वर्ष के लिये अपना वित्तीय विवरण **31 मार्च को तैयार करना होगा।** RBI ने प्रस्ताव दिया है कि HFC को संबंधित तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी बैलेंस शीट को अंतिम रूप देना होगा। इस अवधि को बढ़ाने हेतु कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क करने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

सेबी ने अनुपालन को सरल बनाने के सुझावों पर टिप्पणियाँ मांगी

भारतीय प्रतिभूति और वनिमिय बोर्ड (SEBI) व्यापार में सुगमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेबी नियमों के अनुपालन को सरल बनाने के लिये विशेषज्ञ समूह की अंतरिम सिफारिशों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता है। प्रमुख सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **बाज़ार पूंजीकरण की गणना:** अगर लसिटेड संस्थाओं का बाज़ार पूंजीकरण एक निश्चित सीमा से अधिक है तो सेबी को अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होता है। उदाहरणतः बाज़ार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 1,000 कंपनियों के लिये नमिनलखिति का होना आवश्यक है:
 - कम-से-कम एक महिला स्वतंत्र नदिशक।
 - एक जोखिम प्रबंधन समिति।
 - एक लाभांश वितरण नीति।
- वर्तमान में सेबी अनुपालन के लिये हर वर्ष 31 मार्च को बाज़ार पूंजीकरण का उपयोग करता है। समिति ने सुझाव दिया है कि सेबी छह महीने (जुलाई-दिसंबर) के औसत बाज़ार पूंजीकरण का उपयोग करे। जिन कंपनियों को पहली बार अनुपालन करने की आवश्यकता होगी, उन्हें संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने के लिये तीन महीने का समय भी मिलागा।
- **नदिशकों के लिये समिति की सदस्यता:** नदिशक केवल सूचीबद्ध संस्थाओं में 10 समिति सदस्यता और 5 अध्यक्ष पदों तक सीमित हैं।
- **प्रमोटर्स का न्यूनतम योगदान:** प्रॉस्पेक्टस दाखल करने से पहले एक वर्ष के भीतर अर्जति परवर्तनीय प्रतिभूतियों के शेयरों को छोड़कर, प्रमोटर्स को लसिटिंग के बाद कम-से-कम 20% शेयर रखने होंगे।
 - हालाँकि ऐसी प्रतिभूतियों को प्रॉस्पेक्टस दाखल करने से पहले कम-से-कम एक वर्ष के लिये रखा जाना चाहिये।

कुछ योजनाओं हेतु नविश को समाप्त करने में लचीलापन प्रदान करने पर टिप्पणियाँ

भारतीय प्रतिभूति और वनिमिय बोर्ड (SEBI) ने **वैकल्पिक नविश कोष (AIF)** और **वेंचर कैपिटल फंड्स (VCF)** को लचीलापन प्रदान करने के लिये परामर्श-पत्र जारी किया है। AIF एक परिभाषित नविश नीति के साथ नजि तौर पर एकत्रित नविश माध्यम है। विचार के लिये मुद्दों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **एक परसिमापन/लक्विडेशन योजना की आवश्यकता:** AIF की समयावधि समाप्त होने के बाद एक वर्ष की परसिमापन अवधि होती है। वे इस अवधि के भीतर एक परसिमापन योजना शुरू कर सकते हैं। परसिमापन अवधि के दौरान वधिदन प्रक्रिया शुरू करने के लिये AIF को योजना में मूल्य के हिसाब से 75% नविशकों की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- **VCF हेतु वधिदन प्रक्रिया:** VCF को शुरू में 1996 में सेबी द्वारा वनिमिमति किया गया था, फरि AIF वनिमिमों के तहत लाया गया, लेकिन मौजूदा

VCF पुराने नियमों के तहत बने रहेंगे, जब तक कवि अधिसूचना के छह महीने के भीतर AIF वनियमों में स्थानांतरित नहीं हो जाते।

- **वन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी योजना:** 15 जून, 2023 के बाद AIF को परसिमापन अवधि में पूर्ण परसिमापन, वधितन या वशिष्ट वितरण के लिये वन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की जानी चाहिये।

शिक्षा

कोचिंग सेंटरों के नियमन हेतु दशा-नरिदेश

शिक्षा मंत्रालय के दशा-नरिदेश कोचिंग सेंटरों को शक्ति, बुनियादी ढाँचे और पंजीकरण के मानकों के साथ नयितरति करते हैं, जिन्हें वधिर के लिये राज्यों को भेजा जाता है। दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताओं में शामिल हैं:

- **पंजीकरण:** कोचिंग सेंटरों को राज्य द्वारा नयिकृत अधिकारी के साथ पंजीकरण करना होगा, प्रत्येक शाखा को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा, व्यक्तगत पंजीकरण समाप्ति से पहले नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।
- **पंजीकरण की शर्तें:** पंजीकरण की पात्रता के लिये एक कोचिंग सेंटर को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - ऐसे ट्यूटर्स को नयिकृत करना जो कम-से-कम स्नातक हैं और किसी अपराध के लिये दोषी नहीं हैं।
 - उन वधियार्थियों का नामांकन नहीं करना जिन्होंने अभी तक माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 10) उत्तीर्ण नहीं की है।
 - अच्छे अंकों को लेकर भ्रामक वादे न करना।
 - पंजीकरण के दौरान इन नियमों के अनुपालन का वधिरण देने वाला एक वचन-पत्र दया जाना चाहिये।
- **शुल्क:** प्रत्येक पाठ्यक्रम का उचित शुल्क होना चाहिये और पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिये। अगर वधियार्थी बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है तो भुगतान कया गया पूरा शुल्क आनुपातिक आधार पर वापस करना होगा। भावी वधियार्थियों/अभभावकों को फीस, सुवधियों और लेक्चर संबंधित सभी जानकारी नःशुल्क दी जानी चाहिये। इसे केंद्र के परसिर में भी प्रमुखता से प्रदर्शित कया जाना चाहिये।
- **कक्षाएँ:** कोचिंग सेंटरस को कक्षेत्र के लोकप्रिय त्योहारों के दौरान छुट्टियों के साथ-साथ वधियार्थियों को साप्ताहिक अवकाश भी प्रदान करना चाहिये। कक्षाएँ एक दिन में पाँच घंटे से अधिक संचालित नहीं की जानी चाहिये और संबंधित वधियार्थियों के स्कूल/कॉलेज के घंटों के दौरान संचालित नहीं की जानी चाहिये।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर:** कोचिंग कक्षाओं में हर बैच में हर वधियार्थी के बीच न्यूनतम एक वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिये। परसिर पूरी तरह से वधियुतकृत और हवादार होना चाहिये। पीने का पानी एवं फर्स्ट एड कटि जैसी सुवधियाँ उपलब्ध होनी चाहिये।

साक्षरता केंद्रों का गठन

शिक्षा मंत्रालय ने 'राज्य शिक्षा साक्षरता और प्रशिक्षण परिषद में राज्य साक्षरता केंद्र को लेकर दशा-नरिदेश' जारी कये हैं। ये दशा-नरिदेश प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में साक्षरता केंद्र का गठन करते हैं। ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर प्रौढ शिक्षा के शक्ति परणामों के मापन हेतु रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। ये राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र के समकक्ष के रूप में काम करेंगे, जो प्रौढ शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रुपरेखा वकिसति करेगा। दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

संयोजन:

- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training- SCERT) द्वारा राज्य साक्षरता केंद्र (SCL) की स्थापना की जाएगी। SCL के पदेन सदस्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - SCERT का नदिशक (अध्यक्ष),
 - SCERT का एक प्रोफेसर/फैकेल्टी (प्रभारी)
 - एससीईआरटी के दो फैकेल्टी।
- अन्य सदस्यों में उच्च शक्ति संस्थानों के प्रतनिधि और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के प्रतनिधि शामिल हैं।

संघटन:

- **पाठ्यक्रम/करकुलम:** राज्य साक्षरता केंद्र राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर प्रौढ शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रुपरेखा को अपनाने के लिये मुख्य रूप से जमिमदार होगा। यह फरेमवरक नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (प्रौढ शिक्षा हेतु) के तहत शक्ति के पाँच कक्षेत्रों के परणामों की रुपरेखा तैयार करेगा।
 - मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता
 - महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल
 - व्यावसायिक कौशल
 - बुनियादी शिक्षा
 - सतत् शिक्षा।
- राज्य साक्षरता केंद्र प्रशक्ति मैन्युअल बनाएगा, शक्ति सामग्री डिज़ाइन करेगा और पाठ्यक्रम के अनुरूप गतविधि भौंडयुल वकिसति करेगा।
- **बजटीय सहायता:** राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन मुख्य रूप से राज्य साक्षरता केंद्र (SCL) के सेटअप और संचालन का वतितपोषण और नगिरानी करेगा।

कोयला

कोयला/लग्नाइट गैसीकरण परियोजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला/लग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये एक योजना को मंजूरी दी। कोयले को गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कोयला गैसीकरण कहा जाता है, जिसका उपयोग बजिली पैदा करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है। यह योजना तीन श्रेणियों के तहत गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना के लिये अनुदान प्रदान करेगी। योजना के तहत 8,500 करोड़ रुपए के कुल परवियय का अनुमान है।

कोयला/लग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत मानदंड और लाभ

| पात्र संस्थाएँ/परियोजनाएँ | मानदंड/लाभ | परवियय (करोड़ रुपए) |
|---|---|---------------------|
| PSU | <ul style="list-style-type: none">1,350 करोड़ रुपए या पूंजीगत व्यय का 15%, जो भी कम हो, का अनुदान।तीन परियोजनाओं को समर्थन दिया जाएगा। | 4,050 |
| नजी कंपनियों और PSU | <ul style="list-style-type: none">1,000 करोड़ रुपए का अनुदान या पूंजीगत व्यय का 15%, जो भी कम हो।प्रतिसिपर्द्धी बोली के माध्यम से कम-से-कम एक परियोजना का चयन किया जाएगा। | 3,850 |
| प्रदर्शन परियोजनाएँ या छोटे पैमाने के उत्पाद-आधारित गैसीकरण संयंत्र | <ul style="list-style-type: none">100 करोड़ रुपए या पूंजीगत व्यय का 15%, जो भी कम हो, का अनुदान।न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवश्यक है।सभी परियोजनाओं का चयन प्रतिसिपर्द्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा। | 600 |

खनन

अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने हेतु खनन नियम संशोधन अधिसूचि

खान मंत्रालय ने खनजि (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन अधिसूचि किये हैं। नियम खान एवं खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत तैयार किये गए हैं। यह अधिनियम भारत में खनन क्षेत्र को वनियमित करता है। 2015 के नियम खदानों की नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) लाइसेंस की नीलामी:** अधिनियम की सातवीं अनुसूची में नरिदषिट खनजि के लिये अन्वेषण लाइसेंस शुरू करने हेतु 1957 के अधिनियम को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया था। इनमें लथियम, कोबाल्ट, चाँदी और सोना शामिल हैं। अन्वेषण लाइसेंस या तो टोही (रीकानसंस) या पूर्वकषण (प्रॉस्पेक्टिंग) या दोनों गतिविधियों की अनुमति देता है। टोही से तात्पर्य खनजि संसाधनों को निर्धारित करने के लिये प्रारंभिक सर्वेक्षण से है। पूर्वकषण में खनजि भंडार की खोज, उसका पता लगाना या साबित करना शामिल है।
 - अन्वेषण लाइसेंस को उस नीलामी प्रीमियम का एक हिस्सा मल्लिगा, जो खनन लीज़ के भावी लीज़ी ने उस क्षेत्र के लिये चुकाया हो, जिसका अन्वेषण उसने किया है। यह हिस्सा पूरे पचास वर्ष की अवधि के लिये या संसाधनों के समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, देय होगा।
 - संशोधित नियमों में प्रावधान है कि राज्य सरकार अन्वेषण लाइसेंस के लिये नीलामी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति नीलामी हेतु किसी क्षेत्र को अधिसूचि करने के लिये राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। उन्हें इस उद्देश्य के लिये उपलब्ध भूविज्ञान डेटा देना होगा।
- नीलामी के मानदंड:** अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के लिये राज्य सरकार एक अधिकतम कीमत नरिदषिट करेगी। अधिकतम कीमत को खनन पट्टे के भावी लीज़ी द्वारा देय नीलामी प्रीमियम में अधिकतम प्रतशित हिस्सेदारी के रूप में व्यक्त किया जाएगा। बोलीदाता ऐसी कीमत उद्धृत करेंगे जो अधिकतम कीमत के बराबर या उससे कम होगी। न्यूनतम उद्धृत मूल्य वाली बोली को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
- प्रदर्शन सुरक्षा:** लाइसेंसधारी को प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करनी होगी। यह सुरक्षा नरिदषिट मामलों में वनियोजित की जा सकती है। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - टोही या पूर्वकषण योजना का पालन न करना।
 - संपूर्ण अन्वेषण डेटा का खुलासा न करना।
 - अन्वेषण डेटा में वसिंगति।
 - नियमों या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन।

ऊर्जा

कॉस्ट इफेक्टिवि टैरिफ और ओपन एक्सेस शुल्क की सीमा तय करने हेतु नियमों में संशोधन

वर्द्धित मंत्रालय ने वर्द्धित अधिनियम, 2005 में संशोधन अधिसूचि किये हैं। नयिम वर्द्धित अधिनियम, 2003 के तहत तैयार किये गए हैं। अधिनियम वर्द्धित क्षेत्र को वनियमि करत है। संशोधनों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामलि हैं:

- **लागत पर वचिर करके शुल्क नरिधरति कयि जाए:** संशोधति नयिमों के अनुसार, डसिकॉम का शुल्क लागत परतबिबति यानी कॉस्ट इफेक्टिवि होना चाहयि। इसका मतलब यह है कि शुल्क को इस तरह नरिधरति कयि जाना चाहयि कि वह दी गई अवधि में सभी लागतों की वसूली कर सके। संशोधति नयिमों में यह भी प्रावधान है कि केवल प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ही कम शुल्क को मंजूरी दी जा सकती है। यह अंतर अनुमानति वार्षिकि राजस्व आवश्यकता के 3% से अधिकि नहीं हो सकता है, जसि तीन वर्षों के भीतर वसूल कयि जाना चाहयि। कसि भी मौजूदा अंतर को समान वार्षिकि कसितों में सात वर्षों के भीतर वसूल कयि जाना चाहयि।
- **ओपन एक्सेस के लयि अतरिकित अधभिर:** 2005 के नयिमों के तहत ओपन एक्सेस उपयोगकर्त्ताओं पर अतरिकित अधभिर लगाया जा सकता है। ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता सीधे उत्पादक से बजिली खरीदते हैं और आपूर्ति प्राप्त करने हेतु ट्रांसमशिन एवं वतिरण इकाइयों के नेटवर्क का उपयोग करते हैं। संशोधति नयिम इस अधभिर को डसिकॉम द्वारा भुगतान की गई बजिली की प्रती यूनिटि नरिधरति लागत से कम रखते हैं। अधभिर को इस प्रकार कम कयि जाना चाहयि कि यह एक्सेस प्रदान करने के चार वर्षों के भीतर समाप्त हो जाए। अधभिर केवल तभी लगाया जाएगा, जब ओपन एक्सेस उपभोक्ता डसिकॉम के उपभोक्ता हों या पहले उपभोक्ता रहे हैं।
- **राज्य नेटवर्क के इस्तेमाल पर शुल्क की सीमा:** कुछ सामान्य नेटवर्क एक्सेस उपभोक्ता राज्य ट्रांसमशिन इकाई के नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। संशोधति नयिमों में कहा गया है कि अल्पकालिकि या अस्थायी ओपन एक्सेस के लयि लगाया जाने वाला शुल्क दीर्घकालिकि उपयोगकर्त्ताओं पर लगाए गए शुल्क के 110% से अधिकि नहीं होना चाहयि। अस्थायी उपयोगकर्त्ता वे हैं, जनिके पास 11 महीने से कम अवधि के लयि सामान्य नेटवर्क पहुँच है।
- **समरपति ट्रांसमशिन लाइनों हेतु लाइसेंस हटाया गया:** संशोधति नयिमों में कहा गया है कि कुछ संस्थाओं को समरपति ट्रांसमशिन लाइनें स्थापति करने और संचालति करने के लयि लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें नमिनलखिति शामलि हैं:
 - उत्पादन कंपनियौं।
 - कैप्टिवि उत्पादन संयंत्र।
 - ऊर्जा भंडारण प्रणाली।
- समरपति ट्रांसमशिन लाइनें उन बजिली आपूर्ति लाइनों को कहा जाता है जो कैप्टिवि उत्पादन संयंत्रों या उत्पादन स्टेशनों को ट्रांसमशिन लाइनों, उप-स्टेशनों या उत्पादन स्टेशनों से जोड़ती हैं। अंतर-राज्यीय ट्रांसमशिन के मामले में न्यूनतम 25 मेगावाट (MW) और इंटर-स्टेट ट्रांसमशिन के मामले में 10 मेगावाट वाले उपभोक्ताओं को भी इस लाइसेंस से छूट दी जाएगी।

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा

गैर-वर्द्धितकृत घरों के लयि सौर ऊर्जा हेतु दशिा-नरिदेश

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजाति आदविसी न्याय महा अभयान (PM-JANMAN) के तहत सौर ऊर्जा योजना को लागू करने हेतु दशिा-नरिदेश जारी किये हैं। PM-JANMAN को नवंबर 2023 में शुरू कयि गया था तथा इसमें 18 राज्यों में वशिष रूप से कमजोर आदविसी समूहों के लयि ऑफ-ग्रिडि सौर ऊर्जा एवं सोलर स्टरीट लाइटिंग जैसी पहलें शामलि हैं। योजना के इन घटकों का वतितीय परविय तीन वर्षों में 515 करोड़ रुपए का है। संबंधति क्षेत्रों में वतिरण लाइसेंसधारी (डसिकॉम) कार्यान्वयन एजेंसियौं होंगी।

दशिा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

- **व्यक्तगित घरों का वर्द्धितकरण:** केंद्र सरकार जनजातीय परिवारों के लयि उपकरणों के साथ ऑफ-ग्रिडि **सौर ऊर्जा** प्रणालियौं को वतिपोषति करेगी, जो डसिकॉम द्वारा टेंडर दिये जाने के तीन महीने के भीतर चालू हो जाएगी।
- **घरों के समूह के लयि मनि-ग्रिडि:** जनि क्षेत्रों में घरों के समूह हैं, वहाँ एक व्यक्तगित ससि्टम की बजाय एक मनि-ग्रिडि स्थापति कयि जा सकता है। इस घटक के तहत उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। घर मनि-ग्रिडि से बजिली लेने के पात्र होंगे और ग्रिडि को इस तरह डजिाइन कयि जाना चाहयि कि इसे भवषिय में मुख्य ग्रिडि से जोड़ा जा सके। इस घटक हेतु प्रती परिवार 50,000 रुपए तक का केंद्रीय हसिसा प्रदान कयि जाएगा।
- **बहुउददेशीय केंद्रों का सौरयीकरण:** बहुउददेशीय केंद्रों का ऑफ-ग्रिडि सोलर के माध्यम से वर्द्धितकरण कयि जाएगा। इस ग्रिडि से प्राप्त बजिली का उपयोग स्टरीट लाइटिंग के लयि कयि जा सकता है। इस घटक के तहत केंद्र सरकार प्रती केंद्र एक लाख रुपए प्रदान करेगी। टेंडर दिये जाने के नौ महीने के भीतर डसिकॉम को ग्रिडि का संचालन करना होगा।
- **नरीक्षण और नगिरानी:** कार्यान्वयन एजेंसियौं पहले दो वर्षों तक नरीक्षण करेगी, जसिके बाद एक तीसरा पक्ष इसे अंजाम देगा।

पृथ्वी वजिज्ञान

पृथ्वी वजिज्ञान मंत्रालय हेतु व्यापक योजना पृथ्वी को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रमिडल ने एक व्यापक योजना पृथ्वी वजिज्ञान (पृथ्वी) [PRITHVi Vignan (PRITHVI)] को मंजूरी दी है। इसमें पृथ्वी वजिज्ञान मंत्रालय के तहत चल रही पाँच उप-योजनाएँ शामलि हैं। ये जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग, धरुवीय वजिज्ञान, भूकंप वजिज्ञान एवं शक्ति एवं आउटरीच से संबंधति हैं।

- यह योजना वर्ष 2021 से 2026 तक 4,797 करोड़ रुपए की कुल लागत से लागू की जानी है।

■ पृथ्वी योजना का उद्देश्य है:

- वायुमंडल, महासागर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाना तथा बरकरार रखना।
- मौसम और जलवायु के खतरों को समझने तथा पूर्वानुमान के लिये मॉडल ससिस्टम विकसित करना।
- ध्रुवीय और उच्च समुद्र क्षेत्रों का पता लगाना।
- समुद्री संसाधनों के सतत दोहन के लिये प्रौद्योगिकी विकसित करना।

पर्यावरण

एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के प्रबंधन हेतु मसौदा नयिम

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (प्रबंधन) नयिम, 2024 का मसौदा जारी किया है। ये नयिम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनयिम, 1986 के तहत तैयार किये गए हैं और उपभोक्ताओं तथा वाहन निर्माताओं की ज़िम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। एंड-ऑफ-लाइफ वाले वाहनों में वे वाहन शामिल हैं जो अब पंजीकृत नहीं हैं, परीक्षण स्टेशनों द्वारा अयोग्य घोषित कर दिये गए हैं या जनिका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। मसौदा नयिमों की मुख्य वशिषताओं में शामिल हैं:

- **उत्पादकों के लिये रीसाइकलिंग का लक्ष्य:** वाहन निर्माताओं को एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों से स्टील की रीसाइकलिंग हेतु निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करना होगा। उत्पादक वसितारति उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) प्रमाण-पत्र खरीदकर इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। प्रमाण-पत्र पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों द्वारा तैयार किया जाएगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में कलेक्शन की ज़िम्मेदारी भी निर्माता की होगी।
- **वाहन मालिकों की ज़िम्मेदारियाँ:** एक बार जब किसी वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ घोषित कर दिया जाता है, तो मालिकों को अपने वाहन को छह महीने से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अपना वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में जमा कर दिया है।
- **थोक उपभोक्ताओं की ज़िम्मेदारियाँ:** थोक उपभोक्ताओं का मतलब उन लोगों से है जिनके पास 100 से अधिक वाहन हैं। ऐसे उपभोक्ता यह सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होंगे कि एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों या नामित संग्रह केंद्रों पर जमा किया जाए। उन्हें अपने फ्लीट के बारे में और जमा किये गए वाहनों के एंड-ऑफ-लाइफ के बारे में वार्षिक रिटर्न दाखल करना होगा।
- **परीक्षण स्टेशनों की ज़िम्मेदारियाँ:** अगर कोई वाहन ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होता तो स्वचालित परीक्षण स्टेशनों को वाहन के एंड-ऑफ-लाइफ की घोषणा करनी चाहिए। स्टेशन टेस्ट किये गए वाहनों की संख्या का रिकॉर्ड रखेगा और डेटा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रबंधित पोर्टल से लकिया जाएगा।

सड़क परविहन एवं राजमार्ग

वाहनों की स्क्रैपिंग के नयिमों में मसौदा संशोधन

सड़क परविहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के कार्य) नयिम, 2021 में मसौदा संशोधन जारी किये हैं। नयिम मोटर वाहन अधिनयिम, 1988 के तहत बनाए गए हैं।

मसौदा संशोधन की मुख्य वशिषताएँ हैं:

- **केंद्र स्थापति करने हेतु सहमति:** 2021 के नयिमों के तहत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापति करने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के पंजीकरण प्राधिकारी से सहमति प्राप्त करनी होगी। इसके बजाय मसौदा संशोधन में प्रावधान है कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे किसी केंद्र को स्थापति करने के लिये मंजूरी देगा।
- **संचालन शुरू करने के लिये सहमति:** 2021 के नयिमों के तहत स्क्रैपिंग केंद्र को संचालन शुरू करने के छह महीने के भीतर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति प्राप्त करनी होगी। मसौदा संशोधन में प्रावधान है कि स्क्रैपिंग केंद्र को काम शुरू करने से कम-से-कम 60 दिन पहले सहमति प्राप्त करनी होगी या आवेदन करना होगा।
- **पंजीकरण का हस्तांतरण:** 2021 के नयिमों के तहत स्क्रैपिंग केंद्रों का पंजीकरण गैर-हस्तांतरणीय है। मसौदा संशोधन पंजीकरण ऐसे हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- **वाहन जमा करने का प्रमाण-पत्र:** स्क्रैपिंग केंद्र वाहन मालिक को वाहन जमा करने का प्रमाण-पत्र जारी करता है। प्रमाण-पत्र वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण को मान्यता देता है। अगर लोग नया वाहन खरीदते हैं तो इनसेटिव और लाभ प्राप्त करने के लिये ये प्रमाण-पत्र अनविरय रूप से होने चाहिये। प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य है। मसौदा संशोधन प्रमाण-पत्र की वैधता को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करते हैं। सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों या ज़ब्त किये गए वाहनों को जारी किये गए प्रमाण-पत्रों पर कोई इनसेटिव नहीं मलिया। ऐसे प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य नहीं होंगे।

